दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, गुरुवार 17 अप्रैल 2025 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-07, अंक- 195

महत्वपूर्ण एवं खास

अमेरिका का चीन पर कड़ा प्रहार, टैरिफ में भारी वृद्धि कर 245 प्रतिशत किया; वजह भी बताई

न्यूयॉर्क । अमेरिका ने चीन से आयातित वस्तुओं पर लगने वाले टैरिफ में भारी वृद्धि करते हुए इसे 245 प्रतिशत कर दिया है। यह कदम चीन द्वारा जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने आयात पर शुल्क 125 प्रतिशत तक बढ़ाने के बाद उठाया गया है। पहले अमेरिका द्वारा चीनी सामान पर 145 प्रतिशत शुल्क लगाया जा रहा था, लेकिन अब इसमें एक साथ 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। अमेरिका का यह फैसला काफी सख्त माना जा रहा है, खासकर तब जब उसने भारत समेत कई अन्य देशों पर लगाए गए शुल्क को 90 दिनों के लिए रोक दिया है। माना जा रहा है कि इस अवधि में अमेरिका इन देशों के साथ व्यापार समझौते कर सकता है। भारत और अमेरिका के बीच तो बैकचैनल से व्यापार समझौते पर बातचीत भी शुरू हो गई है और संभावना है कि इसके लिए मई से बैठकों का दौर भी शुरू हो सकता है। चीन के प्रति अमेरिका का रुख स्पष्ट है कि वह शुल्क का जवाब शुल्क से देगा और चीन को अपनी गलती माननी चाहिए। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि अमेरिका दूसरे देशों के सामान पर कम कर लगाता है, जबकि चीन और भारत जैसे कई देश उसके निर्यात पर भारी कर वसूलते हैं। इसी के जवाब में अमेरिका ने यह व्यापार युद्ध शुरू किया है। व्हाइट हाउस का कहना है कि चीन का रवैया अडियल है, जबकि दुनिया के लगभग 75 देशों ने व्यापार समझौते के लिए उससे संपर्क किया है। इसी कारण अमेरिका ने कई देशों पर शुल्क को 90 दिनों के लिए टाल दिया है, ताकि इस दौरान किसी सहमति पर पहुंचा जा सके। इस अवधि में केवल 10 प्रतिशत का सामान्य शुल्क ही लागू रहेगा। गौरतलब है कि अमेरिका ने भारत पर भी 26 प्रतिशत शुल्क लगाया था, जिसे फिलहाल रोक दिया गया है। इसी का सकारात्मक असर भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिल रहा है और कई दिनों की गिरावट के बाद अब तेजी का रुख है।

पूर्व राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को भ्रष्टाचार के मामले में 15 साल की सजा

लीमा। पेरू की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति ओलांटा ह्युमाला और उनकी पत्नी नादिन हेरेडिया को धन शोधन का दोषी पाते हुए 15 साल जेल की सजा सुनाई है। जज नायको कोरोनाडो की अध्यक्षता वाली थर्ड नेशनल कोलीजिएट क्रिमिनल कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। अन्य न्यायाधीशों ने फैसले का समर्थन किया। अदालत ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति और उनकी पत्नी ने लगभग नौ महीने पूर्व-ट्रायल हिरासत (ट्रायल से पहले की गिरफ्तारी) में बिताए हैं, उन्हें सजा की अवधि में शामिल माना जाएगा। गौरतलब है कि पूर्व राष्ट्रपति और उनकी पत्नी पर आरोप है कि ब्राज़ील की निर्माण कंपनी ओडेब्रेच ने 2006 से 2011 के बीच नेशनलिस्ट पार्टी को चुनावी अभियान के लिए उन्हें अवैध रूप से धन मुहैया कराया था।

बांग्लादेश का बड़ा फैसला, भारत से धागे के आयात पर लगा दी रोक

ढाका। बांग्लादेश के नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (एनबीआर) ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए भारत से धागे (सूत) के आयात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इस नए नियम के तहत बेनापोल, भोमरा, सोनामस्जिद, बंगलाबंधा और बुरिमारी जैसे प्रमुख भूमि बंदरगाहों के माध्यम से अब धागे का आयात नहीं किया जा सकेगा। यह कदम बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन (बीटीएमए) द्वारा की गई शिकायतों के बाद उठाया गया है। बीटीएमए ने दावा किया था कि भारत से सस्ते सूत के आयात के कारण स्थानीय कपड़ा उद्योग को भारी नुकसान हो रहा है। बीटीएमए के अनुसार, भारत से जमीनी रास्ते से आयातित सूत की कीमत समुद्री मार्ग से आने वाले सूत की तुलना में काफी कम है, जिसके चलते स्थानीय मिलों को बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई हो रही है। उदाहरण के तौर पर, बांग्लादेश में 30 सिंगल सूत की कीमत 3.40 डॉलर प्रति किलोग्राम है, जबकि भारत में यह 2.90 डॉलर और वियतनाम में 2.96 डॉलर प्रति किलोग्राम है। इसके अतिरिक्त, बीटीएमए ने यह भी आरोप लगाया कि भूमि मार्ग के बंदरगाहों पर पर्याप्त बुनियादी ढांचे और जांच सुविधाओं की कमी के कारण आयातक गलत घोषणाएं करके टैक्स चोरी कर रहे हैं।

फास्ट टैग सिस्टम खत्म! 15 दिन बाद लागू हो रही नई पॉलिसी

सीधे बैंक खाते से कट जाएगा टोल टैक्स

नई दिल्ली

देश के टोल बूथ को लेकर सरकार जल्द ही एक बड़ा बदलाव करने वाली है। केंद्रीय सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि देश के राजमार्गों पर टोल भुगतान का तरीका बदलने जा रहा है। सरकार अगले 15 दिनों के भीतर एक नई टोल पॉलिसी पेश करने की तैयारी में है, जिसके मई से लागू होने की संभावना है। हालांकि, मंत्री ने इस नई नीति के बारे में विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन उन्होंने संकेत दिया है कि इसके लागू होने के बाद टोल को लेकर किसी को भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इस नई प्रणाली के आने से मौजूदा फास्टटैग सिस्टम भी पूरी तरह से

खत्म हो जाएगा।

गडकरी ने स्पष्ट किया कि नई प्रणाली के तहत फिजिकल टोल बूथ की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय, सैटेलाइट आधारित ट्रैकिंग और वाहनों की नंबर प्लेट की पहचान तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसके माध्यम से टोल की राशि सीधे वाहन मालिकों के बैंक खातों से स्वचालित रूप से कट जाएगी।

क्या है नया जीपीएस आधारित टोलिंग सिस्टम?

देश में सडक़ों के बढ़ते जाल के साथ टोल बूथों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। सरकार अब इन टोल बूथों को समाप्त कर जीपीएस आधारित टोलिंग प्रणाली को बढ़ावा देने जा रही है, जो वर्तमान सिस्टम की जगह लेगी। टोल बूथों के निर्माण से आधारभूत संरचना की लागत काफी बढ़ जाती है, जिससे टोल संग्रह की लागत में भी इजाफा होता है। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए सरकार यह नई टोलिंग प्रणाली लाने जा रही है।

इस नई प्रणाली में जीपीएस तकनीक की मदद से सीधे वाहन चालक या मालिक के बैंक खाते से टोल की राशि काटी जाएगी। वाहनों की निगरानी त्रक्कस् के माध्यम से की जाएगी और तय की गई दूरी और समय के आधार पर टोल की राशि की गणना की जाएगी। सरकार का मानना है कि यह नई प्रणाली टोल संग्रह को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाएगी, साथ ही यात्रियों के लिए भी यह काफी सुविधाजनक साबित होगी।

नासिक : सतपीर दरगाह पर चला बुलडोजर, हाईकोर्ट के आदेश पर की गई कार्यवाई

नासिक । आरएनएस

महाराष्ट्र के नासिक में मंगलवार को अवैध निर्माण हटाने के दौरान हिंसक झड़प में 21 पुलिसकर्मी घायल हो गए। नासिक महानगरपालिका ने बुलडोजर कार्रवाई की, जिसका भारी विरोध किया गया। भारी संख्या में जुटे लोगों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोडऩे पड़े। हाईकोर्ट के आदेशानुसार यह कार्रवाई की गई, लेकिन जैसे ही इसे अंजाम देने की शुरुआत हुई, भीड़ ने इसका तीव्र विरोध किया। इसके बाद, मंगलवार रात हाईकोर्ट के निर्देशानुसार दरगाह ट्रस्टियों ने दरगाह को खुद हटाने की प्रक्रिया शुरू की थी। इसी दौरान बड़ी संख्या में लोग इक_ा हो गए और उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। स्थिति तब और बिगड़ गई जब उग्र भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, भीड़ ने उन मुस्लिम नेताओं पर भी हमला किया जो लोगों को शांत कराने पहुंचे थे।

स्थिति को काबू में करने और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इस हिंसा में कुल 21 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और पुलिस के तीन वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। काफी मशक्कत के बाद स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सका।

बुधवार सुबह दरगाह को पूरी तरह से गिरा दिया गया। इस घटना को लेकर प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जोन-1 के अधिकारी, सभी डीसीपी, एसीपी, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक व अन्य स्टाफ को उनके प्रयासों के लिए बधाई दी गई है।

इस कार्रवाई के मद्देनजर पुलिस से भी काफी बंदोबस्त कर रखा था। दरगाह के पास सडक़ों पर हर तरफ भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी।

नगरपालिका ने 1 अप्रैल को अदालत के आदेश के बाद एक अनधिकृत निर्माण पर नोटिस दिया था, जिसमें कहा गया था कि यदि निर्माण को स्वयं नहीं हटाया गया तो प्रशासन उचित कार्रवाई करेगा। 15 दिन तक इस दिशा में कुछ नहीं किया गया तो बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

गुरुग्राम : एयर होस्टेस से आईसीयू में कथित दुष्कर्म के मामले में मेदांता अस्पताल ने दी सफाई

गुरुग्राम । आरएनएस

गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में एक 46 वर्षीय एयर हॉस्टेस के साथ कथित रूप से आईसीयू में दुष्कर्म किए जाने के आरोप ने सनसनी फैला दी है। महिला की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि वह 6 अप्रैल को अस्पताल के आईसीयू में वेंटिलेटर पर थी, जब किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने अस्पताल स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं, मेदांता अस्पताल की ओर से मेडिकल सुपरिटेंडेंट संजय दुरानी ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि अस्पताल को इस शिकायत की जानकारी दी गई है और वे पूरी तरह से जांच एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहे हैं।

बयान में कहा गया है, हमें एक मरीज की शिकायत के बारे में पता चला है और हम संबंधित अधिकारियों द्वारा की जा रही जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। इस स्तर पर, कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ है, और संबंधित समय अवधि के लिए अस्पताल से सीसीटीवी फुटेज सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेज पुलिस को सौंप दिए गए हैं। हम जांच की प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

बता दें कि 46 वर्षीय पीड़िता पश्चिम बंगाल की निवासी है और हाल ही में गुरुग्राम के एक होटल में ठहरी हुई थी। पुलिस जांच में यह सामने आया है कि महिला की तबीयत होटल के स्विमिंग पूल में डूबने के कारण बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां करीब एक सप्ताह तक उसका इलाज चला। इसी दौरान, 13 अप्रैल को महिला ने गुरुग्राम के सदर थाना में मेदांता अस्पताल के स्टाफ पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के बाद ही अस्पताल की ओर से आधिकारिक बयान जारी कर सफाई दी गई है।

अब चलती ट्रेन में भी यात्री निकाल सकेंगे पैसे, रेलवे ने शुरू की एटीएम सुविधा

नई दिल्ली

अक्सर लंबी दूरी की यात्रा के दौरान नकदी की कमी महसूस होती है। यात्रियों की इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने एक अनूठी पहल की है। अब ट्रेन में सफर करने वाले यात्री भी आसानी से ATM से पैसे निकाल सकेंगे। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए चलती ट्रेन में ATM सेवा शुरू करने की तैयारी कर ली है और फिलहाल इसका ट्रायल किया जा रहा है।

रेलवे ने इस सुविधा को प्रायोगिक तौर पर नांदेड़ से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक चलने वाली पंचवटी एक्सप्रेस में शुरू किया है। इस ट्रेन में एक एटीएम मशीन लगाई गई है, जिससे यात्री अपनी यात्रा के दौरान ही नकदी निकाल सकेंगे।

यह नई सुविधा उन यात्रियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद साबित होगी जो ऑनलाइन भुगतान के बजाय नकद में लेनदेन करते हैं। साथ ही, उन लोगों को भी राहत मिलेगी जिन्हें ट्रेन में ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा न होने या नकदी खत्म हो जाने के कारण असुविधा होती थी। अब उन्हें जरूरत पडऩे पर तुरंत पैसे निकालने के लिए स्टेशन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

रेलवे अधिकारी इस ट्रायल के दौरान यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि चलती ट्रेन में ATM मशीन सुचारू रूप से काम करे। नेटवर्क कनेक्टिविटी, सुरक्षा, गोपनीयता, यात्रियों की सुविधा और अन्य आवश्यक पहलुओं पर बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है। यदि यह परीक्षण सफल होता है, तो रेलवे भविष्य में अन्य ट्रेनों में भी ATM लगाने की योजना बना सकता है।

यह सुविधा लंबी दूरी की यात्रा करने वाले और अधिक नकदी साथ लेकर चलने से बचने वाले यात्रियों के लिए भी काफी उपयोगी सिद्ध होगी। ट्रेनों में अक्सर जेबकतरों और चोरी का खतरा बना रहता है, ऐसे में ऑनबोर्ड ATM की सुविधा से यात्री अपनी यात्रा को अधिक सुरक्षित और आरामदायक बना सकेंगे।

वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट में बहस

सीजेआई बोले- आर्टिकल 26 धर्मनिरपेक्ष, यह सभी पर लागू

नई दिल्ली । आरएनएस

वक्फ कानून को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस अहम मामले में वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें रखनी शुरू कीं। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बहस की शुरुआत की, जिसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें पेश कीं।

सिब्बल ने अनुच्छेद 26 का जिक्र किया। फिर कहा अगर मुझे वक्फ बनाना है तो मुझे सबूत देना होगा कि मैं 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हूं, अगर में मुस्लिम ही जन्मा हूं तो मैं ऐसा क्यों करूंगा?

मेरा पर्सनल लॉ यहां पर लागू होगा। अगर वक्फ बनाने वाला कागजात देता है तो वक्फ कायम रहेगा। इस पर सीजीआई ने कहा अनुच्छेद 26 धर्मनिरपेक्ष है और ये सभी समुदायों पर लागू होता है।

वहीं, अधिवक्ता सिंघवी ने कोर्ट के समक्ष कहा कि देशभर में करीब आठ लाख वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से चार लाख से अधिक संपत्तियां 'वक्फ बाई यूजर' के तौर पर दर्ज हैं। उन्होंने इस बात को लेकर चिंता जताई कि वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधन के बाद इन संपत्तियों पर खतरा उत्पन्न हो गया है।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि जब वे दिल्ली हाईकोर्ट में थे, तब उन्हें बताया गया था कि वह जमीन वक्फ संपत्ति है। उन्होंने कहा, हमें गलत मत समझिए, हम यह नहीं कह रहे हैं कि सभी वक्फ बाई यूजर संपत्तियां गलत हैं।

बहस के दौरान सिंघवी ने यह भी कहा कि उन्हें यह तक सुनने में आया है कि संसद भवन की जमीन भी वक्फ की है। उन्होंने कोर्ट से पूछा कि क्या अयोध्या केस में जो फैसले दिए गए, वे इस मामले में लागू नहीं होते? उन्होंने संशोधित वक्फ अधिनियम पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की और कहा कि जब तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं आता, तब तक संशोधन लागू नहीं किया जाना चाहिए।

इस बीच, अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने भी कहा कि अधिनियम की धारा 3(आर) के तीन पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है। खासकर इस बात पर कि 'इस्लाम का पालन करना' यदि आवश्यक धार्मिक अभ्यास माना जाता है, तो इसका प्रभाव नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर भी पड़ सकता है। अहमदी ने कहा कि यह अस्पष्टता पैदा करता है।

मकान की तीसरी मंजिल पर बेडरूम में घुस गया सांड, नीचे उतारने के लिए बुलानी पड़ी क्रेन

जमशेदपुर । आरएनएस

जमशेदपुर के सोनारी इलाके में एक सांड की वजह से घंटों अफरा-तफरी मची रही। सांड एक मकान का दरवाजा खुला पाकर न सिर्फ अंदर घुस आया, बल्कि सीढ़ियों से मकान की तीसरी मंजिल पर जा पहुंचा और जमकर उत्पात मचाया। मोहल्ले के लोगों की लाख मशक्कत के बाद सांड नीचे नहीं उतरा। करीब चार घंटे बाद सांड को एक क्रेन के सहारे छत के रास्ते से नीचे उतारा गया।

बताया गया कि सोनारी आदर्श नगर के न्यू ग्वाला बस्ती के रिहायशी इलाके में बुधवार को तीन सांड सडक़ पर आपस में लड़ रहे थे। इसी दौरान एक सांड मनोज यादव नामक शख्स के घर के अंदर दाखिल हो गया। उसे निकालने की कोशिश की गई तो वह बाहर निकलने के बजाय सीढ़ियों से होता हुआ तीसरी मंजिल पर स्थित बेडरूम में जा पहुंचा। उसने बेडरूम के सामान इधर-उधर कर दिए।

इसकी जानकारी मिलते ही मोहल्ले के सैकड़ों लोग घर के अंदर और बाहर इक_ा हो गए। कुछ लोगों ने सांड की गर्दन में रस्सी बांधकर नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। बाद में 'बजरंग दल' संगठन से जुड़े लोगों ने एक क्रेन बुलाया। 10-12 लोगों ने एक साथ ऊपरी मंजिल पर पहुंचकर सांड को रस्सी से बांधा और इसके बाद छत के रास्ते क्रेन के सहारे धीरे-धीरे नीचे उतारा।

कुछ स्थानीय लोगों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो रिकॉर्ड किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जमशेदपुर में आवारा सांड के उत्पात और हमले की यह कोई पहली घटना नहीं है।

जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई होंगे अगले सीजेआई, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की लेंगे जगह

नई दिल्ली । आरएनएस

वर्तमान मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना ने बुधवार को केंद्रीय कानून मंत्रालय को न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को अगला सीजेआई नियुक्त करने की सिफारिश भेजी है। न्यायमूर्ति गवई वर्तमान सीजेआई के बाद उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और वह आगामी 14 मई को देश के 52वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। सीजेआई खन्ना 13 मई को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जस्टिस गवई को पद की शपथ दिलाएंगी। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ के 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति खन्ना ने नवंबर

2024 में मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला था।

जस्टिस गवई का पूरा नाम भूषण रामकृष्ण गवई है और उनका जन्म 24 नवंबर, 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। उन्होंने 12 नवंबर, 2005 को उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति प्राप्त की थी। तब से वह शीर्ष अदालत की कई महत्वपूर्ण संविधान पीठों का हिस्सा रहे हैं, जिन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले सुनाए हैं।

जस्टिस गवई उस पांच न्यायाधीशों की पीठ के सदस्य थे जिसने सर्वसम्मति से केंद्र सरकार के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा था, जिसने तत्कालीन राज्य जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया था।

जस्टिस गवई इसी वर्ष नवंबर में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, जिसके कारण वह लगभग छह महीने तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहेंगे। जस्टिस गवई उस पांच न्यायाधीशों की पीठ में भी शामिल थे जिसने केंद्र सरकार की विवादास्पद चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था।

जस्टिस गवई सात न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ का हिस्सा थे जिसने 6:1 के बहुमत से यह माना था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है, ताकि उन जातियों के उत्थान के लिए आरक्षण प्रदान किया जा सके जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अधिक पिछड़ी हैं।

जस्टिस गवई सहित सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था कि पक्षों के बीच बिना मुहर लगे या अपर्याप्त रूप से मुहर लगे समझौते में मध्यस्थता खंड लागू करने योग्य है, क्योंकि इस तरह के दोष को ठीक किया जा सकता है और यह अनुबंध को अवैध नहीं बनाता है। उनके नेतृत्व वाली पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में अखिल भारतीय स्तर पर दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा था कि 'कारण बताओ' नोटिस दिए बिना किसी भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए और प्रभावितों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिनों का समय दिया जाना चाहिए। वह उस पीठ का भी नेतृत्व कर रहे हैं जो वन, वन्यजीव और वृक्षों के संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई कर रही है।

उन्होंने 16 मार्च 1985 को बार में दाखिला लिया था और वह नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम और अमरावती विश्वविद्यालय के स्थायी वकील भी रहे थे।

अगस्त 1992 से जुलाई 1993 तक उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ में सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया था। सत्रह जनवरी 2000 को उन्हें नागपुर पीठ के लिए सरकारी वकील और लोक अभियोजक नियुक्त किया गया था।

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण संबंधी प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, कानून मंत्री सीजेआई को पत्र लिखकर उनसे उनके उत्तराधिकारी का नाम मांगते हैं। प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को सीजेआई का पद संभालने के लिए उपयुक्त माना जाता है और न्यायपालिका के निवर्तमान प्रमुख के विचार 'उचित समय' पर मांगे जाते हैं।